संख्या- /71-3-2010-328/92

प्रेषक,

कुमार अरविन्द सिंह देव,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
आयुर्वेद विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

2. निदेशक,
होम्योपैथी विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

3. निदेशक,
यूनानी विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2010

विषयः- चिकित्सा शिक्षा (आयुर्वेद, यूनानी एवं होम्योपैथी) के स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शुल्क का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2042/71-3-2001-328/92, दिंनाक 11 जुलाई, 2001 तथा शासनादेश संख्या-2788/71-3-2001-328/92, दिनांक 29 अगस्त, 2001 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्यापैथिक कालेजों में स्नातक/स्नातकोत्तर छात्रों से लिये जाने वाले विभिन्न शुल्कों को संलग्नक में दिये गये विवरण के अनुसार संशोधित किये जाने का निर्णय लिया गया है। संशोधित शुल्क शैक्षणिक वर्ष 2010-11 तथा उसके पश्चातुवर्ती वर्षों में स्नातक/स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेशित होने वाले छात्रों से लिया जायेगा।

2- आरक्षित श्रेणी के छात्रों के ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) सामान्य वर्ग के छात्रों से ली जाने वाली ट्यूशन फीस (शिक्षण शुल्क) की आधी (50 प्रतिशत) होगी।

3- संलग्न सूची में इंगित "अन्य शुल्क" से तात्पर्य लाईब्रेरी, लेबोरेटरी, कालेज डे, मैगजीन, छात्र कल्याण, कम्प्यूटर, गेम्स व स्पोर्टस, एनाटमी, फिजियोलाजी, फार्माकालोजी तथा क्लीनिकल सोसायटी, एजूकेशनल टूअर्स इत्यादि हेतु लिये जाने वाले शुल्क तथा "प्रवेश शुल्क" से तात्पर्य पंजीकरण, एनरोलमेंट, मेडिकल इक्जामिनेशन, पैथोलाजी टेस्ट, एक्स रे, ब्लड ग्रुप, परिचय-पत्र, प्रशासनिक व्यय आदि मदों में लिये जाने वाले शुल्क से है।

4- थीसिस प्रोफार्मा, थीसिस तथा परीक्षा सम्बन्धी शुल्क उपरोक्त के अतिरिक्त देय होगें, जो राजकीय आयुर्वेद/यूनानी/होम्यापैथी मेडिकल कालेज स्तर पर निर्धारित किया जायेगा।

5- शिक्षण/प्रशिक्षण शुल्क एवं काशनमनी दो छमाही किस्तों में दी जा सकती है।

6- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई0-3-1170/दस-2010, दिनांक 17 अगस्त, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव

2197
AD(ME)
25-8-10
5011

संख्या-2240(1) (1)/71-3-10-तद्दिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, समस्त राजकीय आयुर्वेदिक/होम्यापैथी/यूनानी कालेज, उत्तर प्रदेश।
4. वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, आयुर्वेद/यूनानी/होम्यापैथी निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
6. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, समस्त राजकीय आयुर्वेदिक/होम्यापैथी/यूनानी कालेज, उत्तर प्रदेश।
7. वित्त (व्यय) नियंत्रण, अनुभाग-3
8. नियोजन अनुभाग-4
9. सम्बंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नवदीप रिनवा)

शासनादेश संख्या-2240(1) /71-3-10-328/91, दिनांक 20 अगस्त, 2010 का संलग्नक

(क) स्नातक पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रू0 10000/- प्रतिवर्ष
2. अन्य शुल्क	रू0 2000/- प्रतिवर्ष
3. विकास शुल्क	रू0 2000/- प्रतिवर्ष
4. प्रवेश शुल्क	रू0 1000/- केवल प्रवेश के समय
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रू0 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	
सिंगल सीटेड	*रू0 200/- प्रतिमाह*
डबल सीटेड	रू0 150/- प्रतिमाह
ट्रिपुल सीटेड/अधिक	रू0 100/- प्रतिमाह
7. विद्युत उपभोग	रू0 200/- प्रतिमाह

(ख) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

1. शिक्षण शुल्क	रू0 12000/- प्रतिवर्ष
~~2. अन्य शुल्क~~	~~रू0 2000/- प्रतिवर्ष~~
3. विकास शुल्क	रू0 4000/- प्रतिवर्ष
~~4. प्रवेश शुल्क~~	~~रू0 2000/- केवल प्रवेश के समय~~
5. काशन मनी (रिफण्डेबुल)	रू0 4000/- केवल प्रवेश के समय
6. छात्रावास शुल्क	निःशुल्क
7. विद्युत उपभोग	रू0 500/- प्रतिमाह

(नवदीप रिनवा)
विशेष सचिव।